न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 224/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/269)

निर्णय दिनांकः—24.11.2025

1. दिनेश कुमार पुत्र बलवन्तराम जाति ब्रहामण निवासी ख्यालीपुरा, 11 एल. एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26—04—2024
उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः—

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 26—04—2024 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा द्वारा तहसील कोलायत में चक 8 एम.आर.एम. ए के मुरब्बा नम्बर 11/58. तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण दस्तावेज संलग्न किय थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–01–2010 को अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 8 एम.आर.एम. ए के मुरब्बा नम्बर 11/58. तादादी 25 बीघा भूमि का पात्र माना है। अपीलांट को किश्ते जमा करवाने बाबत कोई सूचना व नोटिस नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन की सूचना अपीलांट/प्रार्थी को नही दी। अपीलांट/प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में अपने उक्त आवटन का पता लगाता रहा। आवंटित भूमि की किश्ते जमा करवाने को भी तैयार था परन्तु अपीलांट को हमेशा यही जवाब मिलता रहा कि अपीलांट को भूमि आवंटन के उपरान्त किस्ते जमा कराने के नोटिस जारी होने के उपरान्त ही किस्ते जमा करवाई जा सकेगी। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा इस दौरान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किस्ते जमा करवाने बाबत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान एसीसी उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छतरगढ़ का कार्यालय की समस्त आवंटित संबंधित पत्रावलिया उपखण्ड़ अधिकारी कोलायत में जमा हो गई और एसीसी छतरगढ़ का कार्यालय टुट गया। अपीलांट अपनी उक्त आवंटन की फाईल का पता करने कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी कोलायत में गया तो अपीलांट को खोजबीन करने के बाद भी अपनी पत्रावली नही मिली। तथा एसीसी छतगरढ़ की पत्राविलयॉ उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू कार्यालय में जमा होने की सूचना अपीलांट को मिली। तब अपीलांट द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू कार्यालय में अपनी पत्रावली बाबत चाराजोई करने पर अपीलांट की पत्रावली उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू में मिलने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अपीलांट द्वारा दिनांक 19–01–2010 से आज दिनांक तक 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण खारिज किया गया है। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नही दी गई। अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नही दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक चक 8 एम.आर.एम. ए के मुरब्बा नम्बर 11/58. तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण खारिज किया गया है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त राशि जमा नही करवाने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अपीलांट भूमि रखना नही चाहता है तथा विशेष आवंअन नियम 13ए के 5(3) अनुसार आवंटन अवधि को 6 माह से अधिक का समय हो गया है तो ऐसे आवंटन स्वतः ही खारिज है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन चक 8 एम.आर.एम. ए के मुरब्बा नम्बर 11/58. तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी ओदशिका दिनांक 26–04–2024 को यह उल्लेखित किया कि उक्त वादगत भूमि हेतु आवेदन किया गया है जिसे स्वीकार कर 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने का आदेश पारित किया था। दिनांक 26–04–24 को अदालत मातहत द्वारा अपनी आदेशिका में यह कहते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई है। अतः प्रार्थी की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस की मूल प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ही सलंग्न है एवं नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नही होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त नजीर उक्त प्रकरण पुर्णतया सही चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24/1/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर